

वही संख्या 4 जिल्द 11 के पृष्ठ 141 से 170 पर क्रमांक 27

पर आज दिनांक 23 Nov 2017 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, चम्पावत
23 Nov 2017



जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद चम्पावत

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 9-ख की उप धारा 3 और धारा 15 एवं 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके अधिनूचना संख्या 1329/VII-1/2017/08ख/16 दिनांक 11 अक्टूबर 2017 द्वारा सौंपित जिला खनिज फाउन्डेशन न्यासों की संरचना और उनकी कृतियों का विनियमन करने और खनन क्रियाकलापों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सम्पादित करने की शक्ति को विहित करने की दृष्टि से शासन के पत्र संख्या 18016टप. 1/2017/08ख/2016 दिनांक 21.11.2017 के क्रम में जिलाधिकारी चम्पावत के पत्र संख्या 1962/खनिज-जि0ख0फ0न्या0/2017 दिनांक 23 नवम्बर 2017 के क्रम में उत्तराखण्ड खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद चम्पावत का गठन किया जाता है। इस विलेख का निष्पादन जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी जनपद चम्पावत उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास श्री हेमन्त कुमार वर्मा द्वारा किया जा रहा है।

न्यास का नाम-	उत्तराखण्ड खनिज फाउन्डेशन न्यास जनपद चम्पावत।
कार्य क्षेत्र-	जनपद चम्पावत।
न्यास की आरम्भिक पूंजी-	रु० 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र)
कार्यालय-	कलेक्ट्रेट परिसर जनपद चम्पावत।

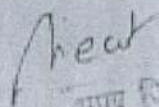
न्यास के उद्देश्य 1. न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

- (1) खनन संक्रियाओं या अन्य संबंधित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना;
- (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए जिला खनिज फाउन्डेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और
- (3) ग्राम जुड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत के फलार्ड पर निधि का उपयोग करना;

न्यास का गठन एवं प्रबन्ध 2. न्यास का गठन एवं प्रबन्ध नियमानुसार होगा :-

- (1) न्यास में एक शासी परिषद एवं एक प्रबन्ध समिति होगी;
- (2) न्यास का प्रबन्ध करने का प्राधिकार शासी परिषद में निहित होगा;
- (3) शासी परिषद में निम्नलिखित होंगे :-

(क)	संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
(ख)	संबंधित मा० सदस्यगण विधान सभा	सदस्य
(ग)	जिलाधिकारी/कलेक्टर	सदस्य
(घ)	जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद के दो गणमान्य व्यक्ति (जो कि खनन प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य से संबंधित हों)	सदस्य
(ङ)	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(च)	मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य


 अपर जिलाधिकारी
 चम्पावत

10 June 2018


 अपर जिलाधिकारी
 चम्पावत

Trust (Movable)

Trust (Movable)

रजिस्ट्रेशन शुल्क
₹ 100.00

प्रतिनिधि शुल्क
₹ 10.00

इलेक्ट्रॉनिक प्रारम्भिक शुल्क
₹ 300.00

कुल योग
₹ 410.00

शब्द लगभग
1,000

श्री उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास द्वारा श्री हेमन्त कुमार वर्मा जिलाधिकारी चम्पावत पुत्र श्री जे. एल. वर्मा निवासी आवास अपर जिलाधिकारी चम्पावत ने आज दिनांक 23 Nov 2017 समय मध्य 2PM इ 3PM को कार्य उपनिबन्धक चम्पावत में प्रस्तुत किया।



Meant

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास द्वारा श्री हेमन्त कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी

[Signature]
उपनिबन्धक

चम्पावत

23-Nov-2017

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख में लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास द्वारा श्री हेमन्त कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी चम्पावत पुत्र श्री जे. एल. वर्मा निवासी आवास अपर जिलाधिकारी चम्पावत ने प्रलेखानुसार निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन प्रलेखानुसार श्री - पुत्र श्री - निवासी - ने भी स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह निवासी ग्राम डडा बिट चम्पावत तहसील और जिला चम्पावत तथा श्री शंकर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी हररंगिया लोहाघाट जनपद चम्पावत ने की।



[Signature]
उपनिबन्धक

चम्पावत

23-Nov-2017

बही संख्या 4 रजिस्ट्रीकरण संख्या 27 वर्ष 2017



Meat

उत्तराखण्ड जिला खनिज
फाउंडेशन न्याय द्वारा
श्री हेमन्त कुमार वर्मा



मुन्दर सिंह

मुन्दर सिंह



शंकर सिंह

शंकर सिंह



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिह्न नियमानुसार लिये गये हैं।

से प्रतिपक्षी विचार करने के लिये जो लोग चुपके और/या अनपेक्षित रूप से जाने वाले कार्यक्रम से सम्बन्धित होने वाले विचारों से निम्न स्तर में निहित या प्रतिनिधित्वित किसी भी प्रकार प्रतीक या चिह्न/चिह्नित के लिये उत्तरदायी लोग परम्परागत रूप से नहीं होते। ऐसी ही दशा में कुल अश्वदानी से अधिक नहीं होगी।

- प्रतिप्रतिक 22. न्यासीयम अपनी संस्थाओं के लिये किसी कानून के अन्तर्गत नहीं होगी।
- न्यास की मुहर 23. न्यासीयम वाली संस्थाओं को इसके में न्यास के प्रयोग के लिये मुहर सम्पन्न करने का विनिर्देश कर दिया गया और उन्हें समझ-सत्य पर यह संकेत होगा कि वे उसे नष्ट कर दें और संस्था के दस्त में मुहर मुहर करें। न्यास की मुहर संस्था की समिति के अध्यक्ष की समिति में रहेगी और संस्था को न्यास के लिये और संस्था और से उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- प्रतिप्रतिकीयता 24. यह न्यास राज्य सरकार के विरुद्ध पर प्रतिप्रतिकीय होगा, जब न्यास उस समय तक अस्तित्व में होगा जैसे कि राज्य सरकार अद्वैत द्वारा विनिर्देशित करे। न्यास समाप्त होने की दशा में न्यास की समस्त आस्तियाँ और दैनिकीय राज्य सरकार में स्वतः निहित/अन्तर्गत हो जाएंगी।

Meat
अध्यक्ष, न्यासीयम

गवाह प्रथम - श्री सुचरित सिंह नेगी ७
श्री बही सिंह नेगी
अध्यक्ष न्यासीयम
हमारे सम्मुख

साक्षर सं- 410403090663

गवाह द्वितीय - श्री. इन्द्र सिंह ९/० श्री मोहन सिंह
नि. हरदोली नर्सिंग होस्पिटल
अध्यक्ष न्यासीयम

सतदाता पहचान पत्र सं- LAT 5001961

बही नं० 4 लेख नं०: 27

(भाग-1)

क्रम संख्या 19/74

लेख का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक (प्रस्तुतकर्ता अभ्यास प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला)
23-Nov-2017

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम
लेख का प्रकार Trust (Movable)

उत्तराखण्ड जिला सविज फाउंडेशन न्यास द्वारा श्री हेमन्त
कुमार वर्मा अपर जिलाधिकारी चम्पावत

प्रतिफल की प्रत्यक्ष

1 रजिस्ट्रीकरण शुल्क	100.00
2 प्रतिलिपिकरण शुल्क	10.00
3 इलेक्ट्रॉनिक शुल्क	300.00
4 निरीक्षण या तलाश शुल्क	0.00
5 मुख्यास्तावा के अभिप्रमाणीकरण के लिए शुल्क	0.00
6 कमीशन शुल्क	0.00
7 नकल शुल्क	0.00
8 विविध	0.00
9 यात्रिक भत्ता	0.00
10 कम रजिस्ट्रीकरण शुल्क	0.00
11 योग	410.00

शुल्क इस्तूल करने का दिनांक 23-Nov-2017

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 23-Nov-2017

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर उपनिबंधक, चम्पावत

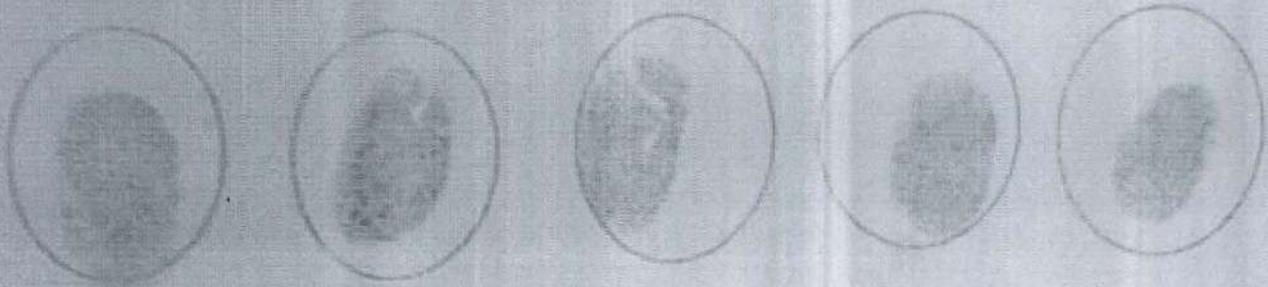
(3)

जिलाधिकारी,
चम्पावत।

प्रथम पक्ष - उदयगढ जिला खगोल फाउण्डेशन न्याय द्वारा भी हेमन्त
कुमार वर्मा लफर जिलाधिकारी - नमपावत पुत्री जे. बल-वर्मा
मनदाता पक्ष- पत्र - ULT0394460
दोनों पक्षों की अंगुलियों के निम्न -



दोनों पक्षों की अंगुलियों के निम्न -

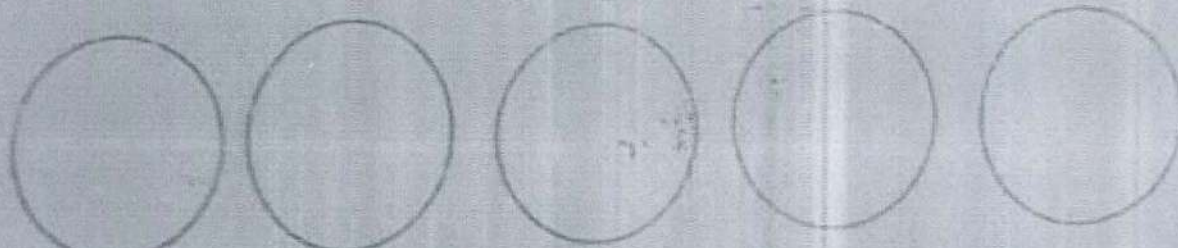


Heed
अपने हस्ताक्षर
समय

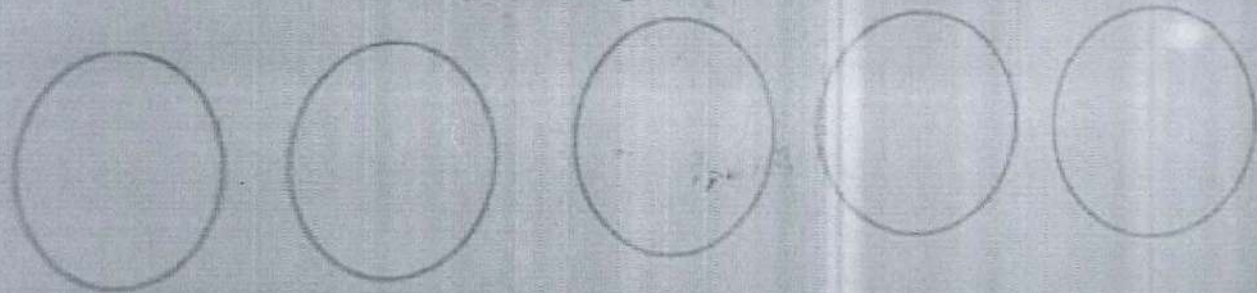
दिनांक के हस्ताक्षर

दोनों पक्षों का नाम _____

दोनों पक्षों की अंगुलियों के निम्न -



दोनों पक्षों की अंगुलियों के निम्न -



दोनों पक्षों के हस्ताक्षर



Online Public Data Entry Summary



27/11/2017

PKV

DISTRICT NAME जलपाईग SRO नं. 1035

UKPDE2017030101035

23-Nov-2017

1:21:44PM

Deed/Article Type Trust (Movable)

Sub-Deed/Sub-Article Trust (Movable)

Village/Location

Area

0.0000

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Ragn Fees :100.00

Stamp Duty :750.00

Advance :0.00

Lease Period :0.00

Avg. Rent :0.00

Construction Value :0.00

Khasra

Khasra

Khasra

House/Flat

Land Value :0.00

Page :30

Words :1.000

Deed Writer

Advocate Name

ब.स.		निर्माण का प्रकार		आवधिक निर्माण का विवरण		
				रक		
				आवधिक निर्माण का विवरण		
ब.स.	निर्माण केव	निर्माण का प्रकार	निर्माण का	आवधिक	रक	
				विशेष शुल्क का विवरण		
ब.स.	शुल्क की विधि	धरणी	संश्लेष शुल्क	बारी विवरण	आवधिक शुल्क का रक	
1	Cash	100.00	0			
				शुल्क शुल्क का विवरण		
ब.स.	शुल्क की विधि	धरणी	संश्लेष शुल्क	बारी विवरण	आवधिक शुल्क का रक	
1	C-Stone	750.00	IN-UKPDE2017030101035	23-Nov-2017	UK1223304	
				पञ्चकारी का विवरण		
पञ्चकारी का प्रकार	पञ्चकारी का विवरण	आवधिक	आवधिक	रक	शुल्क का रक	पञ्चकारी का प्रकार
विशेष / शुल्क का रक	विशेष / शुल्क का रक	GOVT. JOB	GOVT. JOB	9410570026	VOTER ID	विशेष / शुल्क का रक
विशेष / शुल्क का रक	विशेष / शुल्क का रक	GOVT. JOB	GOVT. JOB	9456943808	ADHAAR	विशेष / शुल्क का रक
विशेष / शुल्क का रक	विशेष / शुल्क का रक	GOVT. JOB	GOVT. JOB	9917241178	VOTER ID	विशेष / शुल्क का रक
विशेष / शुल्क का रक	विशेष / शुल्क का रक	GOVT. JOB	GOVT. JOB	9917241178	ADHAAR	विशेष / शुल्क का रक

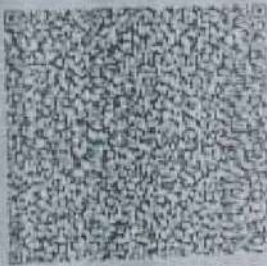


सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UK42494864304422P
Certificate Issued Date	: 23-Nov-2017 01:28 PM
Account Reference	: NONACC (SY) UK1223304/ CHAMPAWAT/ UK-CP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UKUK122330485511834561954P
Purchased by	: UTTRAKHAND JILA KHANIJ FOUNDATION NYAS
Description of Document	: Article 64(A) Trust
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0 (Zero)
First Party	: UTTRAKHAND JILA KHANIJ FOUNDATION NYAS
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: UTTRAKHAND JILA KHANIJ FOUNDATION NYAS
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 750 (Seven Hundred And Fifty only)



Please write or type below this line

Shakt
अपर जिलाधिकारी
चम्पावात

0000831542

Statutory Alert

* The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at www.stamplog.gov.in. Any discrepancy in the details on this certificate and its registration on the website renders it invalid.
* The link of checking the authenticity is on the back of the certificate.
* In case of any discrepancy please inform the Complaints Authority.

निम्न स्तर का न हो)	
(ज) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(झ) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ञ) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (जो अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(ठ) जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ड) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी	सदस्य
(ण) अधिशासी अभियन्ता (विद्युत वितरण विभाग) जनपद स्तरीय अधिकारी	सदस्य
(त) खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(थ) ज्योष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी	सदस्य सचिव

नोट:-संबंधित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा।

- (4) गैर सरकारी सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष होगा;
- (5) कोई सरकारी सदस्य तब पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा, जब वह सरकारी पद धारण करने से प्रविरत हो जाय;
- (6) न्यास की दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली प्रबन्ध समिति में निहित होगी।

(क) प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित होंगे :-

(एक) जिलाधिकारी,	अध्यक्ष
(दो) मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
(तीन) खनन गतिविधि प्रभावित ग्राम के ग्राम प्रधान	सदस्य
(चार) मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
(पांच) सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(छ) लघु सिंचाई विभाग का प्रतिनिधि (अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(सात) पेयजल विभाग का प्रतिनिधि (अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(आठ) लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधि (अधिशासी अभियन्ता से निम्न स्तर का न हो)	सदस्य
(नौ) जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
(दस) जिला पंचायत अधिकारी	सदस्य
(ग्यारह) उत्तराखण्ड पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव द्वारा जनपद हेतु नामित अधिकारी।	सदस्य
(बारह) अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण विभाग, जनपद स्तरीय	सदस्य

Heal
अपरा जिलाधिकारी
धनबाद



न्यास विलेख / ट्रस्ट डीड

- 1- न्यास का नाम-
- 2- न्यास का पता-
- 3- न्यास में पूँजी निदान-
- 4- स्टाम्प शुल्क-
- 5- स्टाम्प शुल्क-
- 6- कार्य क्षेत्र-
- 7- न्यास कार्यालय-
- 8- निष्पादक-

उत्तराखण्ड खनिज फाउन्डेशन न्यास जननद चम्पावत।
खनिज कार्यालय, कलक्ट्रेट, चम्पावत।
रु० 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र)
रु० 750.00 (रुपये सात सौ पचास मात्र)
ई- स्टाम्प एक सीट।
चम्पावत।
चम्पावत।
अपर जिलाधिकारी, चम्पावत श्री हेमन्त कुमार वर्मा।

Heat
अपर जिलाधिकारी
चम्पावत

Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.stamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.stamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate or any part of it is invalid. Use of an altered certificate without the seal of the issuing authority will constitute a criminal offence."

"This document contains a complex background with Lacey Geometric Flexo Logo images. Complex ornamental design borders, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Over and Cover features."

केन्द्र सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के अनुपूरक अनुपूरक प्रयास और कार्य किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञों को भी खनन से संबंधित बीमारी और रोगों की देखभाल करने के लिए आवश्यक विशेष अवसंरचना को अभिकल्पित करने के लिए ध्यानाकर्षित किया जा सकता है। सामूहिक स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना, खनन से प्रभावित व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा सकती है।

- (घ) शिक्षा— विद्यालय भवनों, अतिरिक्त शिक्षण कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला और हस्तकला कक्षा, सामूहिक शौचालय का निर्माण, पेयजल उपपद्धति, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिये आवासीय छात्रावास, खेल अवसंरचना, व्यवसायिक प्रशिक्षण सुविधा, अध्यापकों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों को कार्य में लगाया जाना, इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था, परिवहन सुविधाओं (बस/ट्रेन/साईकिल/रिक्शा आदि) और मौसमिकता से संबंधित कार्यक्रमों की व्यवस्था किया जाना;
- (ङ) महिला एवं बाल कल्याण— मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, किशोरावस्था तथा संक्रामक रोगों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने हेतु विशेष कार्यक्रम न्यास के अधीन किये जायेंगे।
- (च) वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों का कल्याण— वयोवृद्ध एवं निशक्त लोगों के कल्याण हेतु विशिष्ट कार्यक्रम,
- (छ) कौशल विकास— जीविका अवलम्ब एवं आय सृजन हेतु कौशल विकास और स्थानीय पात्र व्यक्तियों के लिए आर्थिक गतिविधियों/परियोजनाओं/योजनाओं में प्रशिक्षण व्यावसायिक/कौशल विकास केन्द्र का विकास स्वरोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह अवलम्ब और ऐसे स्वरोजगार संबंधी आर्थिक क्रियाकलापों हेतु अगड़े और पिछड़े लोगों के प्रति जुड़ाव का उपबन्ध सम्मिलित है;
- (ज) स्वच्छता— अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन और निस्तारण, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, जल निकास और मल उपचार संयंत्र का उपबन्ध, जीवद निस्तारण उपबन्ध और प्रसाधन तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से संबंधित उपबन्ध।

(2) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र— 40 प्रतिशत तक की निधि का उपयोग निम्नलिखित नदों में किया जायेगा :-

- (क) भौतिक अवसंरचना— अपेक्षित भौतिक अवसंरचना सड़क, पुल, रेलमार्ग तथा जलमार्ग संबंधी परियोजनाओं का उपबन्ध और अनुरक्षण;
- (ख) सिंचाई— सिंचाई के वैकल्पिक स्रोत को विकसित करना और उपयुक्त तथा विकसित सिंचाई तकनीकों को अंगीकृत करना;
- (ग) ऊर्जा एवं जलविभाजक विकास— ऊर्जा एवं वर्षा जल संचायन प्रणाली के वैकल्पिक स्रोत का विकास, फलोंदानों, एकीकृत कृषि और आर्थिक एवं जलागम पुनर्स्थापन का विकास;
- (घ) खनन वाले जिला में पर्यावरणीय गुणवत्ता में वृद्धि करने हेतु कोई अन्य उपाय :-

(एक) फाउण्डेशन के न्यासियों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार जिले में खनन संकेतों से

श्री. जिलाधिकारी,
धनबाद

(ख) प्रबन्ध समिति का कोई सरकारी सदस्य, सदस्य का पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा, जब वह सरकारी पद धारण करने में प्रविरत हो जाय।

न्यास के कृत्य

3

- (1) नियम 4 में यथाउल्लिखित 50 प्रावधानों से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में शारी परिषद् की बैठकें स्वचालित जनपद के मा० प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में की जायेंगी। मा० प्रभारी मंत्री यदि अपरिहार्य कारणों से परिषद् की बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, तो परिषद् के सदस्यों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की बैठकें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समय-समय पर, जैसा परिषद् ठीक समझे, आयोजित की जायेगी।
- (2) खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए प्रस्ताव संबंधित विभाग के पञ्चमर्श से संबंधित ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत किये जायेंगे।
- (3) प्रस्ताव निम्नलिखित प्रकृति का होगा :-
(क) क्षेत्र की आधारभूत अवसंरचना सुदृढीकरणार्थ पहुँच मार्ग का निर्माण एवं अनुरक्षण, विद्युत, स्वच्छता, पेयजल सुविधा, हेल्थग्राम तथा न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य जन उपयोगी कार्य;
(ख) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में तथा उसके चारों ओर सामान्य वृक्षारोपण;
(ग) खनिज विकास के हित में न्यास द्वारा अनुमोदित अन्य क्रिया-कलाप।
- (4) न्यास की बैठक में ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण किया जायेगा। न्यास उस प्रस्ताव को अनुमोदित, उपान्तरित या अस्वीकृत कर सकता है।
- (5) अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

शासी परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य

4.

शासी परिषद् निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी :-

- (1) न्यास की कार्यप्रणाली के लिए नीतिगत रूपरेखा तैयार करना और समय-समय पर उसकी कार्य प्रगति की समीक्षा करना;
- (2) न्यास की वार्षिक कार्य योजना और वार्षिक बजट तैयार किया जाना और उसे अनुमोदित किया जाना।

शासी परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के कम से कम एक माह पूर्व वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अनुमोदित की जायेगी। वार्षिक कार्य योजना में वृत्तबन्धी प्रायोगिक उपबन्धों सहित योजनाओं और परियोजनाओं की सूची अन्तर्निहित होगी।

परन्तु यह कि यदि किसी भी कारण से शासी परिषद् वार्षिक कार्य योजना और बजट विनिर्दिष्ट समय के भीतर तैयार कर अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यक्ष को न्यास की वार्षिक कार्य योजना तथा बजट तैयार करने और तदनुमोदित कारण अभिलिखित करते हुए उसे अनुमोदित करने की शक्ति होगी। इस प्रकार तैयार किया गया बजट शासी परिषद् द्वारा सम्यक रूप से तैयार एवं अनुमोदित किया गया समझा जावेगा।

Heat
अपरा जिलाधिकारी,
समतावा

योग का निर्धारण किया जाएगा। वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए समय से पूरा करने के लिए पूर्व देनदारियों और प्रतिबद्धताओं और प्रस्तावित की जा रही नई योजनाओं का कुल योग, किसी भी दशा में अगले वित्तीय वर्ष के लिए न्यास में पायी गयी प्रत्याशित अन्तर्प्रवाहों के तीन गुना से अधिक नहीं होगा।

- (3) उपलब्ध न्यास निधि से न्यास के उद्देश्यों को अग्रसारित करने में ऐसे अन्य व्यय का अनुमोदन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।
- (4) प्रबन्ध समिति की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।
- (5) पूर्ववर्ती वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर न्यास के वार्षिक रिपोर्टों और सम्पत्ति लेखाओं का अनुमोदन करना।

शासी परिषद् की बैठक

5. (1) शासी परिषद् प्रायः यथा आवश्यक बैठक करेगी, किन्तु प्रत्येक त्रैमास में कम से कम एक बार बैठक करना अनिवार्य होगा।
- (2) शासी परिषद् की बैठक का संचालन अध्यक्ष द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप में की जायेगी।
- (3) ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति शासी परिषद् के कुल सदस्यों के एक तिहाई उपस्थिति से होगी।

प्रबन्ध परिषद् की बैठक

6. किसी वित्तीय वर्ष में प्रबन्ध समिति की कम से कम छः बार बैठक होगी तथा इसका संचालन उसी रूप में किया जायेगा, जैसा कि प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाय।

प्रबन्ध समिति की शक्तियाँ और कृत्य

7. प्रबन्ध समिति :-
- (1) न्यास के हितों की रक्षा हेतु अपने कर्तव्यों के निष्पादन करने में सम्यक् रूप से तत्परतापूर्वक कार्य करेगी;
- (2) अधिनियम और तदधीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों तथा केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित खनन पट्टाधारकों से सामयिक अंशदान निधि संग्रह सुनिश्चित करेगी;
- (3) न्यास के क्रियाकलापों के लिए महायोजना दृष्टि अभिलेख तैयार करेगी;
- (4) प्रस्तावित योजनाओं और परियोजनाओं सहित न्यास की वार्षिक योजना और वार्षिक बजट की तैयारी में सहायता करेगी;
- (5) वार्षिक योजना और अनुमोदित योजनाओं तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करेगी और उनका निष्पादन सुनिश्चित करेगी;
- (6) परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी तथा उक्त प्रयोजनार्थ न्यास निधि आहरण-वितरण करेगी;
- (7) न्यास निधि संचालित करेगी और उसमें तत्परतापूर्वक विनिधान करेगी तथा न्यास के नाम से खाता खोलगी और ऐसे खातों तथा विनिधानों को संचालित करेगी;
- (8) न्यास निधि की प्रगति और उसकी उपयोगिता का अनुश्रवण करेगी;
- (9) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर शासी परिषद् के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु वार्षिक प्रतिवेदन सहित सम्पत्ति लेखा प्रस्तुत करेगी;

Free
क्षेत्र जिलाधिकारी
धरमापट

(10) ऐसे अन्य कार्य करेगी, जो न्यास के सुगम कार्य संचालन तथा प्रपत्र पत्रों के आवश्यक हो;

(11) न्यास की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रियाओं को विनियमित करेगी।

न्यास निधि हेतु
अंशदान

8.

(1) मुख्य खनिजों के मामले में :-

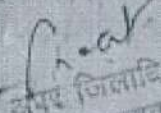
(क) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से पूर्व स्वीकृत खनन पट्टाधारक को स्वामित्व धनराशि के अतिरिक्त जिला, जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास के द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि से अनाधिक धनराशि का भुगतान ऐसी रीति से और खनन पट्टा श्रेणीकरण तथा विभिन्न श्रेणी के पट्टाधारकों द्वारा संदेय धनराशि, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा विहित किया जाय, के अधीन करना होगा;

(ख) खान और खनिज (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् स्वीकृत किसी खनन पट्टा या पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति सहखनन पट्टाधारक को किसी स्वामित्व की धनराशि के अतिरिक्त जिला जिसमें खनन संक्रियायें जारी हों, के न्यास को ऐसे प्रतिशत, जो केन्द्र सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची के निबन्धनों में संदत्त स्वामित्व धनराशि के विहित ऐसे प्रतिशत के एक तिहाई स्वामित्व धनराशि से अधिक न हो, के बराबर धनराशि का भुगतान करना होगा;

(2) गौण खनिजों के मामले में :-

1. समस्त उपखनिज पट्टाधारक रायल्टी का 25 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जमा करेंगे।
2. ईंट भट्टा समाधान रायल्टी 15 प्रतिशत अथवा साधारण मिट्टी पर 10 प्रतिशत रायल्टी के अतिरिक्त जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास में जमा की जायेगी।
3. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
4. उपखनिजों (बालू, बजरी, बाल्डर, सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड आदि) के पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
5. सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास पर सीधे जमा किये जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
6. जल विद्युत परियोजना में उपखनिज उपयोग किये जाने पर उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली रायल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
7. नहर/जलाशय सफाई/खुदान से प्राप्त उपखनिज पर भुगतान की जाने वाली धनराशि की रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से।
8. खर्व एवं अन्य प्राप्ति या एव ब्याज से प्राप्त धनराशि या अन्य प्रकरण से प्राप्त धनराशि।
9. न्यास की अन्य द्वारा प्राप्त आय या अन्य प्रकार से प्राप्त आय।

(3) संश्लिष्ट ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी न्यास निधि हेतु संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होंगे और उसे न्यास द्वारा यथा विनियमित किये गये किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये न्यास के खाते में उक्त धनराशि को जमा करना


अपर जिलाधिकारी
घन्यापत्र

- न्यास की निधि से व्यय 9. न्यास निधि में सफलता निधियों का उपयोग निम्नलिखित समस्त या किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा :-
- (1) अनुमोदित प्रस्ताव पर व्यय
 - (2) न्यास के प्रशासनिक व्यय पर 05 प्रतिशत
- न्यास के लेखा की सम्परीक्षा 10. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास द्वारा अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास की लेखा परीक्षा प्रत्येक वर्ष वित्तीय की समाप्ति पर की जानी चाहिए। जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाय। न्यास का अपने स्तर से आडिट कराने के साथ ही राज्य सरकार का आडिट कराना भी अनिवार्य होगा। प्रत्येक वार्षिक रिपोर्ट जन सामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध होनी आवश्यक है।
- न्यास का प्रबन्धन 11. न्यास का प्रबन्धन शासी परिषद् में निहित होगा, जिसमें न्यास के समस्त सदस्य होंगे तथापि न्यास के दिन प्रतिदिन का प्रबन्ध नियम 4 के उप नियम (6) में यथापरिभाषित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा। तथापि राज्य सरकार किसी भी समय प्रबन्ध समिति के गठन में परिवर्तन करने का विनिश्चय कर सकती है।
- न्यासियों के विनिश्चय 12. (1) शासी परिषद् की बैठक में समस्त विनिश्चय न्यासी द्वारा किये जायेंगे और शासी परिषद् की प्रत्येक बैठक न्यास की बैठक समझी जायेगी।
 (2) शासी परिषद् के समस्त विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जायेंगे। समान मतों की दशा में बैठक के अध्यक्ष का मतदान निर्णायक होगा।
 (3) जब तक राज्य सरकार द्वारा सहमति प्रदान न कर दी जाय तब तक न्यासीकरण को न्यास के विलेख के किसी भाग में संशोधन का अधिकार नहीं होगा।
 (4) न्यासीगण शासी परिषद् और प्रबन्ध समिति को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों और मार्गदर्शनों आदि के अनुसार कार्य करना होगा।
- न्यास निधि का संचालन 13. न्यास निधि, न्यास के नाम से केवल किसी अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी। बैंक खाता राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से खोल जायेगा और उसके खाते का संचालन सदस्य सचिव और प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत प्रबन्ध समिति के सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। न्यास इस निधि की लेखा पुस्तिका अनुरक्षित करेगा।
- न्यास की परिधि 14. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना और केन्द्र एवं राज्य सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन न्यास के लिए प्रोत्तु होने वाली निधियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलों के न्यास द्वारा किया जायेगा। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना तथा राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं का समग्र लक्ष्य निम्नानुसार है :-
 (क) खनिज प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास संबंधी और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रम क्रियान्वित करना, परियोजनाओं और ऐसी परियोजना/कार्यक्रम राज्य और केन्द्र सरकार की दिशानाम में जारी

अवर जिलाधिकारी
प्रमाणित

योजनओं/परियोजनाओं के लिए क्रियान्वित किये जायें।

- (ख) खनन वाले जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर खनन के दौरान या इसके पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को न्यून करना/उसमें कमी लाना और
- (ग) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक सम्पोषणीय जीविका सुनिश्चित करना।

अनुसूचित क्षेत्रों
हेतु विशेष प्रावधान

15.

- (1) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु धनराशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 सहपठित अनुसूची V एवं अनुसूची VI के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति लोगों के प्रबंधन हेतु पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र हेतु विस्तार) अधिनियम, 1996 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत अधिशासी (वन अधिकार हेतु चिन्हीकरण) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किया जाय।

अनुसूचित क्षेत्रान्तर्गत खनन गतिविधि से प्रभावित गांव हेतु :-

ग्राम सभा का अनुमोदन निम्न हेतु आवश्यक है :-

(क) प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत समस्त योजनाएं, परियोजनाएं एवं कार्यक्रम हेतु।

(ख) राज्य सरकार द्वारा वर्तमान जारी दिशा-निर्देश के अनुसार लाभार्थी का चिन्हीकरण।

- (2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों की प्रत्येक ग्रामवार प्रगति ग्राम सभा को भेजी जानी है।

(ग्राम सभा का वही अर्थ होगा जैसा कि पंचायती राज (अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार) अधिनियम, 1996 (अधिनियम 40 ऑफ 1996) में है।

न्यास निधि के
व्यय

16.

न्यास में उपलब्ध निधियों का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जायेगा :-

- (1) उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र - न्यूनतम 60 प्रतिशत निधि का प्रयोग निम्नलिखित मनों में किया जायेगा :-

(क) पेयजल आपूर्ति:- केन्द्रीयकृत निर्मलीकरण प्रणाली, जल उपचार संयंत्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क, जिसमें पेयजल को आपूर्ति हेतु जल पाईप दिखाने की अच्छी सुविधा सम्मिलित है;

(ख) पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:- वहिःस्रोत उपचार संयंत्र क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्रोत प्रदूषण निवारण, खनन-सक्रियाओं और भण्डारणों, खान जल निकास प्रणाली खनन, खान प्रदूषण निवारण तकनीकों के कारण हुए वायु एवं वृत्त प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय और कार्यशील या निषिद्ध खानों के लिए उपाय तथा पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु अपेक्षित अन्य वायु, जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के अन्य तौर-तरीके;

(ग) स्वास्थ्य देखभाल:- प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/द्वितीयक तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सृजन पर ध्यान केन्द्रित कि जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के सृजन पर ही केवल ब नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि ऐसी प्रभावी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित आवश्यक कर्मचारी, उपकरण और आपूर्तियों के उपबन्ध पर बल दिया जाना चाहिए। उस सीमा तक स्थानीय निकायों, राज्यों

मेर
जिलाविकास

प्रभावित क्षेत्र का समग्र विकास;

(दो) सामाजिक और अधिक प्रयोजनों के लिए स्थानीय अवसंरचना का सृजन;

(तीन) खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय जनसंख्या के लिये सामुदायिक आस्तियाँ और सेवाओं की व्यवस्था करना, अनुसूक्षण करना और उनका एकीकरण करना;

(चार) रोजगार एवं स्वरोजगार क्षमताओं के सृजन हेतु कौशल विकास तथा क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा संचालित करना;

परन्तु यह कि वर्ष में न्यास द्वारा प्राप्त कुल निधियों की 5 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि न्यास द्वारा अपने प्रशासनिक या अधिष्ठान संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए व्यय की जा सकेगी।

परन्तु यह और भी कि न्यास की निधि या उसके किसी भाग का प्रयोग किसी सामग्राही के किसी ऋण के अग्रिम के लिए या उसे नकद अनुदान प्रदान करने के लिए नहीं किया जायेगा।

- लेखा और संपरीक्षा 17. (1) (एक) प्रबन्ध समिति न्यास के मामलों का सत्य और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने के लिए न्यास निधि के संबंध में समुचित लेखापुस्तिका, दस्तावेज और अन्य अभिलेख अनुरोध करेगी या अनुरोधित करायेंगी;
- (दो) न्यास के लेखा की संपरीक्षा कम से कम एक वर्ष पूरा होने पर किसी अर्ध संपरीक्षक द्वारा की जायेगी;
- (तीन) न्यास के संपरीक्षकों की नियुक्ति, शासी परिषद की बैठक में राज्य के महालेखाकार द्वारा अधिसूचित अनुमोदित संपरीक्षक सूची से न्यासियों द्वारा ऐसी निवन्धन एवं शर्तों, जैसा कि न्यासियों द्वारा विनिश्चित किया जाय, पर की जायेगी;
- (चार) संपरीक्षकों को न्यासियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता।
- (2) उपनियम (1) में अन्तर्बिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी राज्य सरकार संपरीक्षक या संपरीक्षकों को नियुक्त कर सकती है अथवा महालेखाकार से किसी विशिष्ट वर्ष अथवा अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किये गये निवन्धनों और शर्तों पर लेखापरीक्षा हेतु अनुरोध कर सकेगी।
- (3) न्यास, अनुमोदित बजट और अगले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं और परियोजनाओं सहित वार्षिक योजना, जिला पंचायत, जिला प्रशासन और राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।
- (4) न्यास, अनुमोदित योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में त्रैमासिक प्रगति के 45 दिन के अन्तर्बर्तित भौतिक एवं वित्तीय निवन्धनों में एक त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करेगा और इसे तत्पश्चात् तत्काल संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु जिला पंचायत और जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगा।
- (5) न्यास, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना रिपोर्ट और अनुमोदित संपरीक्षा रिपोर्ट शासी परिषद द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिन के भीतर जिला पंचायत, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार को उनके संबंधित वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित करेगा।

धनराशि का अनुश्रवण

अधिकारी को जिस स्वामित्व धनराशि संदेय हो, सूचित करके इस प्रकार जैसा कि फाउण्डेशन विनिर्दिष्ट करे, विप्रेषित करना होगा।

- (2) प्रत्येक अधिकारी जो स्वामित्व धनराशि संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत हो, को प्रत्येक पट्टेदार द्वारा संदेय और संदेय धनराशि की पंजी अनुश्रवण करनी होगी और तत्संबंधी समेकित मासिक विवरण प्रत्येक माह की समाप्ति पर समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराना होगा।
- (3) योजनाओं के मध्य अपेक्षाकृत अधिक समन्वयात्मक सहक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति के अधीन गठित मंच, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल है, उक्त समिति के मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तर पर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अधीन योजनाओं का अनुश्रवण करेगा।

प्रशासनिक व्यवस्था

19. (1) राज्य सरकार न्यास के प्रबन्ध एवं वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु उक्त प्रयोजनार्थ यथ्यापेक्षित जिला पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों सहित अपने नियंत्रणाधीन कर्मिकों की सेवायें प्रदान करेगी।
- (2) न्यास स्वयं को प्रशासनिक और प्राविधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार के सरकारी विभागों से अपेक्षित संख्या में प्रमुख कर्मिकों या जिला परिषद या ऐसे अन्य संवर्ग के नियमित कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिये अनुरोध कर सकता है। ऐसे कर्मिकों की सेवायें उनके अपने-अपने संवर्गों में बनी रहेंगी। न्यास इस प्रयोजन हेतु अर्जित निधियों का 3 प्रतिशत तक व्यय वहन कर सकेगा।
- (3) न्यास, सेवा प्रदाताओं से ऐसी सेवा प्रदान करने हेतु कह सकता है, जैसा कि न्यास के सुगम कार्य संचालन हेतु आवश्यक हों और अपने कार्य संचालन हेतु उपगत होने वाले आकस्मिक व्यय का उपबन्ध कर सकेगा।
- (4) जिला खनिज न्यास संस्थान की प्रशासनिक, सुपरवाइजरी एवं ओवरहेड व्यय आदि पर जो भी व्यय होगा, वो न्यास की वार्षिक अंशदान निधि के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जिला खनिज संस्थान न्यास के लिए कोई भी अतिरिक्त पद सृजित नहीं किये जायेंगे। यथा आवश्यकतानुसार पदों/वाहनों एवं अन्य सुविधाओं हेतु आउटसोर्स और अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति आदि की व्यवस्था अपनाई जायेगी। न्यास हेतु वाहन का क्रय यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक प्रकरण में शासन (वित्त विभाग) की सहमति प्राप्त की जायेगी।

संशोधन

20. राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की रस्तुति के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली, 2017 के अधीन गठित होने वाले न्यास में नहीं किया जायेगा।

न्यासियों का दायित्व

21. (1) न्यासीगण सद्भावनापूर्वक और परिश्रम के साथ वास्तविक रूप में की गयी किसी बात के लिये उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यासीगण ऐसे किसी बैंकर, ब्रोकर, अभिरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति के लिये भी दायी या उत्तरदायी नहीं होंगे, जिनके पास उक्त व्यय धनराशि जमा की जाय या रखी जाय, न तो न्यास निधि के किन्हीं विनिधानों में होने वाली कमी या अपर्याप्तता के लिये और न ही अन्यथा किसी अनैच्छिक क्षति के लिये दायी या उत्तरदायी होंगे।
- (2) न्यासीगण और प्रत्येक न्यायवादी या न्यासीगण द्वारा नियुक्त अभिकर्ता न्यास निष्पादन में उपगत समस्त देनदारियों, क्षतियों और व्यय के संबंध में न्यास निधि

Heat
अपर जिलाधिकारी
प्रधानमन्त्री